UPBJ180002472021

<u>न्यायालय</u> सिविल जज (जू0डि0) नगीना, बिजनौर।
मूलवाद सं0 108/2021
रणधीर सिंह आदि बनाम रोहताश कुमार आदि

<u>24—04—2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। प्रार्थना—पत्र कागज सं0 ग—22 व क—20 पर आपत्ति ग—30 के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

<u>निस्तारण प्रार्थना—पत्र कागज सं0 ग—22</u>

प्रार्थना—पत्र कागज सं0 ग—22 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ—पत्र कागज सं0 ग—23 वादीगण की ओर से कायमी वारिसान प्रार्थना—पत्र कागज सं0 क—20 को प्रस्तुत करने में कारित विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु दिया गया है तथा कथन किया गया है कि वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं उन्हें कानूनी जानकारी नहीं है तथा कोरोना की वजह से अपने अधिवक्ता से भी नहीं मिल पाये जिस कारण समय से प्रार्थना—पत्र नहीं दे सके।उन्होंने संशोधन प्रार्थना—पत्र देने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना—पत्र प्रार्थना—पत्र टाईमबार्ड है। वादीगण ने अपने प्रार्थना—पत्र में देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी सं.2 गुरनाम कौर का देहान्त दिनांक 12—11—2021 को हो गया तथा प्रश्नगत प्रार्थना—पत्र के साथ कायमी वारिसान प्रार्थना—पत्र दिनांक 09—09—2022 को दाखिल किया गया है तथा वादी द्वारा कथन किया गया है कि कानून की जानकारी न होने के कारण वे समय से प्रार्थना—पत्र कायमी वारिसान नहीं दे पाये। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद का निस्तारण उभयपक्ष को सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिया जाकर गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए तथा विलम्ब की प्रतिपूर्ति हर्जे के माध्यम से सम्भव है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना—पत्र कागज सं0 ग—22 न्यायहित में किन्तु हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना—पत्र कागज सं0 ग—22 अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अंकन 1000/रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। कायमी वारिसान प्रार्थना—पत्र कागज सं0 क—20 को प्रस्तुत करने में कारित विलम्ब क्षमा किया जाता है।

सिविल जज(जू0डि0)
नगीना, बिजनौर।

Digitally signed by DAVENDER KUMAR
Date: 2023.04.24 16:56:17 IST
Reason: Order Pass
Location: Civil Judge (J.D) Nagina

<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–20</u>

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–20 मय शपथ–पत्र ग–21 वादी की ओर से दौरान वाद दिनांक 12–11–2021 को वादी सं02 गुरनाम कौर का देहान्त हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु दिया गया है तथा कथन किया गया है कि मृतक ने अपनी मृत्यु के बाद अपने 2 पुत्र रणधीर सिंह व कुलदीप सिंह छोड़े हैं जो उसके जायज वारिस हैं जिनमें रणधीर सिंह पहले से ही पक्षकार मुकदमा है और गुरनाम कौर के तीसरे पुत्र दिलबाग का देहान्त उपरोक्त वाद दायर होने से पहले ही हो गया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध आपत्ति कागज सं0 ग–30 प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र का खण्डन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थना–पत्र के कथन शपथ–पत्र से समर्थित हैं। प्रतिवादीगण की ओर से जो आपत्ति प्रस्तुत की गयी है वह मुख्यत विलम्ब की बाबत है। कारित विलम्ब धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान कर क्षमा किया जा चुका है। याचित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–20 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–20 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। वादीगण प्रार्थना–पत्र के प्रकाश में वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त <u>प्रतिवाद–पत्र/निस्तारण</u> प्रार्थना–पत्र 6ग/वाद–बिन्दु विरचना दिनांक 06–07–2023 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0)
नगीना, बिजनौर।